ट्रम्प

संपर्क में रहने का आसान तरिका
प्री-पेड मोबाइल कार्ड

ट्रम्प प्री-पेड सेल्युलर मोबाइल कनेक्शन के लिए अनुबंध प्रपत्र

एमटीएनएल

मोबाइल नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

सिम नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

दिनांक: ☐☐-☐☐-☐☐☐☐

अपना पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो चिपकाएं

आवेदन का प्रकार: ☐ व्यक्तिगत ☐ कंपनी ☐ अन्य (स्पष्ट करें) ______________

नाम : ______________________________

निवास का पता ______________________________

____

स्थानीय पता ______________________________

(यदि उपभोक्ता ______________________________

दिल्ली से बाहर का निवासी हैं)

जन्म तिथि ☐☐☐☐☐☐☐☐ संपर्क नं. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ लिंग पु. ☐ स्त्री ☐

दि . दि . म. म. व. व. व. व.

ई - मेल ______________________________

क्या राष्ट्रीय कॉल न करें पंजीका में पंजीकरण चाहते हैं (निःशुल्क) : हाँ /नहीं

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना पूर्णतः सत्य है। मैंने नियमों एवं शर्तों तथा प्रचलित प्रशुल्क योजना को पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। मैं एतद्द्वारा उनके पालन की सहमति देता हूँ/देती हूँ। मैं इस पर भी सहमत हूँ कि मेरा सेल्युलर कनेक्शन एमटीएनएल द्वारा सत्यापन, मूल्यांकन तथा स्वीकृति के अधीन है।

दिनांक ______________ उपभोक्ता के हस्ताक्षर

सीएससी-I/सी / फ्रैंचाइजी के हस्ताक्षर एवं मोहर		

निर्देश

(क) कृपया पहचान पते का प्रमाण निम्नलिखित किसी एक या अधिक (जैसा लागू हो), के माध्यम से प्रस्तुत करें :

(i) आयकर पैन कार्ड (ii) पासपोर्ट (iii) मतदाता पहचान पत्र (मतदान कार्ड) (iv) ड्राइविंग लाइसेंस (v) शस्त्र लाइसेंस (vi) किसी सांविधिक/सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया कोई फोटो पहचान पत्र।

(ख) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियां निगमन (इन कोरपोरेशन) का प्रमाण पत्र, अंतरनियमों का ज्ञापन, (मैमोरेंडम ऑफ आर्टिकलस्),जिस पर कंपनी के कंपनी सचिव /प्रबंध निदेशक/निदेशक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों तथा इसके साथ कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी का उपर्युक्त के अनुसार पहचान का कोई प्रमाण संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र पर प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर किये गये हों तो मुख्तारनामा(पावर ऑफ एर्टोनी) की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि भी अवश्य संलग्न की जाए।

(ग) भारत सरकार के उपक्रम , भारत सरकार/राज्य सरकार कार्यालयों के मामलों में पूर्वोक्त अपेक्षाओं की आवश्यकता नहीं है। इनके मामले में पत्र शीर्ष पर स्वंय प्रमाणित किया जाना प्रर्याप्त होगा। इसके साथ समन्वय अधिकारी का नाम व पदनाम दिया जाए जिनसे आवश्यकता पड़ने पर परामर्श किया जा सके।

(घ) भारत में विदेशी दूतावासों एवं अन्य विदेशी एजेंसियों के मामले में प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा पदनाम एवं उन कर्मचारियों इत्यादि का विवरण जिनके लिए सेल्युलर मोबाइल फोन लिया जाना है।

(च) दिल्ली से बाहर के उपभोक्ताओं के मामले में स्थानीय संदर्भ दिये जाएं।

(छ) भुगतान नकद/माँग ड्राफ्ट /भुगतान आदेश के रुप में "एमटीएनएल दिल्ली डॉल्फिन" के पक्ष में स्वीकार किये जाएगें ।

(ज) ट्रम्प कार्ड तथा रिचार्ज कूपनों का शुल्क पैकिंग केस /कूपन पर दर्शाया गया है तथा किसी भी स्थिति में इस राशि की वापसी नहीं हो सकती।

(झ) ट्रम्प कार्ड को समुचित ट्रम्प रिचार्ज कूपन जिसे अलग से खरीदा जा सकता है के साथ सक्रिय करने के बाद ही उपयोग में लाया जा सकता है।(इच्छानुसार मूल्यवर्ग का कूपन लिया जा सकता है)

पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय : महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, जीवन भारती बिल्डिंग, टॉवर-I, 12वां तल, 124, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001

वेबसाइट :www.mtnl.net.in http://delhi.mtnl.net.in

फार्म भरने के लिए सूचना

ग्राहकता फार्म विधिवत भरा जाए तथा फार्म के साथ निम्नलिखित जमा करवाया जाए :

(क) व्यक्तियों के लिए :

1. आवदेक का पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो जिसे फार्म में निधार्रित स्थान पर चिपकाया जाए।
2. पहचान का प्रमाण जैसा फार्म में उल्लिखित है।
3. पते का प्रमाण जैसा फार्म में उल्लिखित है।

(ख) कंपनी के लिए :

1. फार्म पर हस्ताक्षर करने वाले निदेशक /प्राधिकृत हस्ताक्षर कर्त्ता का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो।
2. कंपनी का प्रमाण जैसा फार्म में उल्लिखित है।
3. कंपनी के पते का प्रमाण।

(ग) विदेशी मिशन के लिए :

1 आवेदक का पासपोर्ट आकार का नवीनतम फोटो जिसे फार्म में बनाये गए स्थान पर चिपकाया जाए।

2 विदेशी मिशन का प्रमाण जैसा फार्म में उल्लिखित है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
नियम एवं शर्तें

अनुबंध का परिचय

इस पन्ने के दूसरी ओर बताये गये उपभोक्ता (जिन्हें यहां आगे "उपभोक्ता" कहा गया है) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे "एमटीएनएल" कहा गया है) जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक कंपनी है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय 12वां तल, जीवन भारती भवन, टावर - I,124 कनॉट सर्कस नई दिल्ली-110001 में है, के बीच एक अनुबंध संपादित हो जाता है , जब उपभोक्ता द्वारा अथवा उपभोक्ता की ओर से इसके दूसरी तरफ दिये गये फार्म अथवा किसी अन्य फार्म या आदेश (जैसे कि मेल आर्डर, फैक्स इत्यादि) पर हस्ताक्षर किये जाते हैं /भेजा जाता है तथा एमटीएनएल ने इन शर्तों का उपयोग होने पर उस स्वीकार कर लिया हो।

''उपभोक्ता उपकरण''	इसका अर्थ है अनुबंध में बताया गया उपभोक्ता का जीएसएम मोबाइल टेलीफोन उपकरण।
''नेटवर्क''	इसका अर्थ है एमटीएनएल का जीएसएम नेटवर्क।
''सेवाएं ''	इसका अर्थ है ऐसी सेवाएं जो उपभोक्ता को नेटवर्क पर उपभोक्ता उपकरण का उपयोग करके द्विमार्गीय संचार उपलब्ध करवाती है तथा अन्य अतिरिक्त संबंधित सेवाएं, यदि उपभोक्ता के साथ इनका विशेष रुप से समझौता हुआ हो, उपलब्ध करवाती है।
''प्रशुल्क''	इसका अर्थ तथा समाहित है ऐसी सहमतक प्रशुल्क अनुसूची तथा दर संबंधित सभी शर्तें एवं प्रशुल्क अनुसूची के अंतर्गत संबंधित शुल्क एवं सेवा प्रभार, जैसा कि महानगर टेलीफोन निगम द्वारा समय-समय पर अधिसूचित एवं प्रकाशित करवाई जाएं।
''सिम''	इसका अर्थ है उपभोक्ता का पहचान माड्यूल जो आंकड़ों के साथ प्रोग्राम किया गया एक कार्ड अथवा माइक्रोचिप होता है जिसका उपयोग नेटवर्क से जुड़ने में किया जाता है।

1. अनुबंध की अवधि

1.1 अनुबंध, की अवधि दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सकार तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बीच दिल्ली मुम्बई एवं निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों जिनके लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है, में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के संचालन के लिए हुए लाइसेंस अनुबंध के अनुसार तथा इस अनुबंध की अन्य शर्तों के अधीन होगी।

2. अनुबंध का प्रारंभ

2.1 अनुबंध एमटीएनएल द्वारा सिम कार्ड को चालू करने पर शुरू होगा तथा अन्य शर्तों के अधीन उपभोक्ता द्वारा चुने गए प्लान (प्लानों)/योजना(योजनाओं)/सेवा(सेवाओं) के अनुसार जारी रहेगा तथा सेवाएं देने के म.टे.नि.लि. के लाइसेंस के साथ चलेगा। उपभोक्ता द्वारा किये गये किसी भुगतान से उपभोक्ता के पक्ष में कोई अधिकार सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक कि टेलीफोन चालू नहीं हो जाता। इसके अतिरिक्त एमटीएनएल को उपभोक्ता के बैंक/ऋणदाता एवं ऐसे अन्य स्त्रोतों से वित्तीय एवं अन्य सूचना मांगने/सत्यापित करने का अधिकार एवं किसी भी कारण से बिना किसी देयता के टेलीफोन चालू करने के बाद भी सदस्यता रद्द करने का अधिकार होगा।

2.2 उपभोक्ता का मानना है कि उन्हें एमटीएनएल द्वारा दी जाने वाली सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के विषय में पूरी जानकारी, इसके विशेष विवरण, अपेक्षाओं, सीमाओं इत्यादि के बारे में पूरी जानकारी दी गई है तथा उन्होंने इसके बाद ही इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं।

2.3 एमटीएनएल एतद्द्वारा यह स्पष्ट करता है कि यह पूरे सेवा क्षेत्र में सौ प्रतिशत नेटवर्क कनेक्शन की गारंटी नहीं देता।

पूर्वोक्त तथा अन्य बातों को देखते हुए यह हमेशा उपभोक्ता का उत्तरदायित्व होगा कि वे सदस्यता लेते समय एमटीएनएल के जीएसएम नेटवर्क की विस्तार से जांच तथा सत्यापन करें एवं घरेलू नेटवर्क से बाहर जाते समय भी पता लगाएं कि जिस क्षेत्र में वे उक्त सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं वहां सेवा उपलब्ध है या नहीं।

2.4 एमटीएनएल 'ट्रम्प' सहित किसी भी ब्राँड के नाम से सेवाएं देने के लिए स्वत्रंत होगा।

2.5 उपभोक्ता एतद्द्वारा यह समझते हैं तथा स्वीकार करते हैं कि प्रशुल्क अथवा संबंधित नियमों एवं शर्तों, योजनाओं इत्यादि में किसी परिवर्तन की सूचना अन्य माध्यमों के साथ-साथ एसएमएस अथवा यूएसएसडी इत्यादि के माध्यम से दिया जाना वैध होगा तथा यह समुचित सूचना होगी।

3. सेवाएं

3.1 उपभोक्ता को एक सिम कार्ड तथा उसके साथ पिन (उपभोक्ता का सुरक्षा कोड) एवं एक व्यक्तिगत दूरभाष नं.(जिसे एमटीएनएल द्वारा कभी भी बदला जा सकता है) प्रदान किया जाएगा, जिससे उपभोक्ता स्वीकृति के बाद एमटीएनएल की सेवाओं का रा.रा.क्षेत्र दिल्ली के स्थानीय क्षेत्र एवं उन भौगोलिक क्षेत्रों, जिनके लिए लाइसेंस दिया गया है, की एमटीएनएल की प्रणाली संचालन रेंज के अंदर उपयोग करे सकें।

3.2 सिम कार्ड एवं व्यक्तिगत दूरभाष नं. पूर्ण रूप से एमटीएनएल की संपत्ति है तथा रहेंगे एवं उपभोक्ता द्वारा सेवाओं के समाप्त होने। इसके निर्धारण होने तथा/अथवा सेवाओं के अस्थायी रूप से स्थगित किये जाने पर एमटीएनएल को वापस लौटाया जायेगा।

3.3 किसी विशेष2अनुपूरक सेवाओं/पद्धतियों/योजना(प्लान) में परिवर्तन/वृद्धि कम किये जाने के

लिए उपभोक्ता अपेक्षित फार्म भरेंगे तथा इस संदर्भ में उसकी अतिरिक्त शर्तों से संचालित होंगे। किसी भी अनुपूरक सेवा इत्यादि से परिवर्तन अथवा उसे छोड़ देने से उपभोक्ता पहले ही भुगतान की गई धनराशि, बिल बनाई राशि अथवा अतिरिक्त शर्तों के अंतर्गत बिल बनने वाली राशि की वापसी अथवा समायोजन के अधिकारी नहीं होंगे।

3.4 उपभोक्ता इस सेवा का प्रयोग किसी अवैधानिक अथवा गैर कानूनी उद्देश्यों हेतु अथवा अश्लील, अशिष्ट, धमकी, तंग करने, अवांछित संदेशों को भेजने अथवा ऐसे संदेशों को भेजने के लिए नहीं करेगा, जो राष्ट्रीय हित को प्रभावित करते हों/अतिक्रमण करते हों तथा न एमटीएनएल अथवा इसके नेटवर्क तथा /अथवा अन्य उपभोक्ताओं को क्षति अथवा खतरा पैदा करेंगे। एमटीएनएल ऐसी किसी भी घटना की स्थिति में अपने एक मात्र विवेक से सेवा को काटन का अधिकार रखता है।

3.5 सेवा की गुणवत्ता, कार्यशीलता, उपलब्धता तथा/अथवा विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है तथा/अथवा एमटीएनएल को बिना किसी दायित्व के अपने एकमात्र विवेकानुसार किसी एक /सभी उपभोक्ताओं की सेवा को पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से किसी भी समय बिना कोई सूचना दिये बिना किसी कारण तथा/अथवा विभिन्न कारकों(इसमें शामिल हैं परन्तु जो सीमित नहीं हैं-सरकार दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(हाई)के नियम, विनियम, आदेश, निर्देश, अधिसूचना इत्यादि तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों सहित तक के कारण, सेवा को देने से इन्कार करने, सीमित करने, निलम्बित करने, परिवर्तित करने, काटने तथा/अथवा बाधित करने का अधिकार है।

3.6 संचार की गोपनीयता(प्राइवेट) की गारंटी नहीं है तथा यह सरकारी विनियमों एवं ऐसे अन्य कारकों के अधीन होगी। एमटीएनएल को एक मात्र अपने विवेकानुसार किसी भी समय किसी भी सेवा/अनुपूरक सेवाओं/पद्धतियों(स्कीम)/योजनाओ(प्लान)इत्यादि को परिवर्तित करने, बढ़ाने, वापस लेने, तथा/अथवा शर्तों एवं प्रभारों में परिवर्तन करने का अधिकार है। दरें/प्रभार भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिश निर्देशों के अनुसार भी बदल सकते हैं।

3.7 किसी भी परिस्थिति में, ट्रम्प प्रीपेड कार्ड से की गई कॉलों तथा उस प्राप्त कॉलों का विवरण उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाएगा। उपभोक्ता इस पर सहमत है कि इस संबंध में एमटीएनएल को ऐसे किसी प्रत्रव्यवहार/कॉलों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हांलाकि उपभोक्ता अपने कार्ड के शेष मूल्य को जानने के लिए ट्रम्प आईवीआर प्रणाली को कॉल कर सकते हैं।

4. निलम्बन एवं टेलीफोन काटा जाना

4.1 एमटीएनएल ऐसे किसी भी कारण से जिन्हें वह उचित समझे तथा जिसमें निम्नलिखित कोई भी परिस्थिति शामिल हो सकती है, के आधार पर सेवाओं को किसी भी समय पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से निलम्बित कर सकता है तथा/अथवा नेटवर्क से किसी भी उपभोक्त उपकरण को काट सकता है।

4.1.1 उपभोक्ता द्वारा उपभोक्ता अनुबंध फार्म में दिए गए किसी भी वस्तुपरक विवरण जिसमें पते/पहचान की पुष्टि भी शामिल है, में पायी गई किसी विसंगति के कारण ।

4.1.2 तकनीकी असफलता, संशोधन-सुधार अथवा मरम्मत या नेटवर्क के परीक्षण के दौरान ।

4.1.3 एमटीएनएल के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह उपभोक्ता की निर्धारित क्रेडिट सीमा के अधिक होने पर इस संबंध में सूचना देकर अथवा बिना सूचना दिए उपभोक्ता कनेक्शन को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से काट दे अथवा उसे स्थानीय कॉल सुविधा पर रख दे। यद्यपि एमटीएनएल इस बात की

गारंटी नहीं देता कि कनेक्शन का ऐसा निलम्बन/काटा जाना उपभोक्ता द्वारा क्रेडिट सीमा पर पहुंचने पर तुरंत ही कर दिया जाएगा। एमटीएनएल को एयरटाइम सेवाओं तथा अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं के उपयोग की क्रेडिट सीमा पूर्व निर्धारित तथा पूर्व निश्चित करने का अधिकार है। यदि उपभोक्ता ने अपनी पूर्व निर्धारित सीमा पार कर ली है तो वह उस वर्णित सीमा के बाद की गई सभी कॉलों तथा प्राप्त की गई सेवाओं का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

i. जब यह अनुबंध इस अनुबंध की शर्तों के अनुरुप किसी कारण से समाप्त किया जाता है।

ii. कोई अन्य कारण जो एमटीएनएल द्वारा सेवा के निलम्बन /काट दिये जाने के लिए उपयुक्त पाया जाये

5. दायित्व

5.1 एमटीएनएल उपभोक्ता को व्यापार, लाभ, राजस्व अथवा साख, पूर्वनुमानित बचतों के उपयोग अथवा अनुबंधों के संबंध में होने वाली किसी हानि अथवा किसी अप्रत्यक्ष या परिणम स्वरुप होने वाली किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

5.2 एमटीएनएल किसी विलम्बित सक्रियकरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

5.3 एमटीएनएल उपभोक्ता द्वारा किसी ऐसी पार्टी के साथ किये जाने वाले सौदों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो कि एमटीएनएल द्वारा अपनी तरफ से व्यवहार(डील) करने के लिए अधिकृत न किये गये हों।

5.4 एमटीएनएल द्वारा ऐसी कोई वारंटी, अभ्यावेदन, गारंटी अथवा वचनपत्र नहीं दिये गये हैं, जिनका कि यहां इसमें विशिष्ट रुप से उल्लेख न किया गया हों।

5.5 एमटीएनएल अपने नियंत्रण के बाहर को स्थितियों में अनुबंध अथवा अपने कर्त्तव्य तथा दायित्वों को निभाने में किसी असफलता के लिए किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं होगा। यह स्थितियां हो सकती हैं- वातावरण/पर्यावरणीय स्थितियां, भौतिक संरचनाएं (जैसे पुल एवं भवन) तथा दूरभाष केन्द्रों से निकटता, दैवी प्रकोप इत्यादि तथा अन्य शक्ति, मध्यस्थता स्थितियां जिनके कारण सेवाएं प्रभावित होती हैं।

5.6 एमटीएनएल के नियंत्रण के बाहर के कारकों, जैसे कि पर्यावरणीय दशाओं, भौतिक, मध्यस्थता स्थितियों, जिनके कारण सेवाएं प्रभावित होती हैं, के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

5.7 एमटीएनएल फ्रेंचाइजी/व्यापार सहयोगियों/वितरकों/चैनल साझेदारों/डीलरों/रिटेलरों की ऐसी योजनाओं के संदर्भ में उत्तरदायी नहीं होगा, जो एमटीएनएल द्वारा प्राधिकृत नहीं हैं अथवा जिन्हें एमटीएनएल की ओर से दिये जाने के लिए कहा जाये परन्तु उन्हें एमटीएनएल की स्वीकृति प्राप्त न हो।

5.8 उपभोक्ता को जीएसएम नेटवर्क से जुड़ने के लिए उपयोग में लाने हेतु एक सिम दिया जाता है। उपभोक्ता इन्हें सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायी है। एमटीएनएल इनके अनाधिकृत उपयोग के कारण उपभोक्ता को होने वाली किसी देयता अथवा हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि उपभोक्ता का सिम कार्ड कहीं खो देता है तो उसकी रिपोर्ट यथाशीघ्र एमटीएनएल को दी जाये। नया सिम कार्ड जारी किया जाना समय-समय पर निर्धारित प्रशुल्क अनुसूची के अनुसार शुल्क प्रभारित करेगा।

5.9 सिम कार्ड उपभोक्ता के पास एमटीएनएल की रचनात्मक सम्पत्ति के रुप में रहता है और नियमों एवं शर्तों के अनुसार किसी भी कारण से उपभोक्ता संबंधों को तोड़ देने/निलम्बित किये जाने पर एमटीएनएल को वापस लौटाना होगा। एमटीएनएल सिम कार्ड की खरीद की तिथि से 6 महीने की समाप्ति

के बाद उसके निर्माण में किसी दोष के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस अवधि के बाद उपभोक्ता को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके नया सिम कार्ड प्राप्त करना होगा।

6. विक्रय अथवा अंतरण

6.1 एमटीएनएल कनेक्शन/सिम कार्ड अहस्तांतरणीय होगा तथा उपभोक्ता द्वारा इसका निजी रुप से हस्तां तरण उनके एमटीएनएल के प्रति विशिष्ट कनेक्शन/सिम कार्ड के संबंध में लगाए गए प्रभार के लिए प्राथमिक कर्त्तव्य से मुक्त नहीं करेगा।

6.2 एमटीएनएल द्वारा उपभोक्ता के अलावा अन्य व्यक्ति से भुगतान स्वीकार कर लेने का यह अर्थ नहीं है कि एमटीएनएल ने उपभोक्ता के अधिकार अथवा दायित्व का हस्तांतरण/संशोधन स्वीकार कर लिया है।

7. विवाद का निपटारा

7.1 किसी भी विवाद की स्थिति में मामला एकमात्र संबंधित मुख्य महाप्रबंधक अथवा उनके द्वारा नामित प्राधिकारी की मध्यस्थता (आरबीट्रेशन) को भेजा जाएगा तथा मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम 1996 के प्रावधानों के द्वारा संचालित होगा।

8. अनुबंध समाप्त करना

8.1 उपभोक्ता अनुबंध की अवधि को एमटीएनएल को कम से कम 30 दिन का नोटिस देकर समाप्त कर सकता है परन्तु ऐसा नोटिस अनुबंध की अवधि को तब तक समाप्त नहीं कर सकता जब तक सिम कार्ड के विवरण संबंधी सभी प्रभारों एवं प्रशुल्क के अनुसार प्राप्त की गई सभी सेवाओं का प्रभार विधिवत नहीं निपटा लिया जाता। उपभोक्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपनी तरफ से किसी प्रकार अनुबंध समाप्त करने से पहले अपने बकायों का पूरा भुगतान कर दें

8.2 यदि इस अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन होता है तो एमटीएनएल अनुबंध की अवधि को किसी भी समय बिना कोई सूचना दिये तथा बिना कोई कारण बताए समाप्त कर सकता है। अन्य सभी मामलों में एमटीएनएल द्वारा उपभोक्ता को अपने विवेकानुसार निर्धारित की गई विधि से समुचित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

9. अन्य मामले

9.1 उपभोक्ता द्वारा एमटीएनएल को दिया जाने वाला कोई भी अपेक्षित नोटिस लिखित रूप में महाप्रबंधक(मोबाइल सेवा)को उनके निर्दिष्ट पते पर देना होगा।

9.2 जहां उपभोक्ता दो या अधिक व्यक्ति से मिल कर बना है,उनका दायित्व संयुक्त एवं पृथक होगा।

9.3 यह अनुबंध केवल दिल्ली के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही वाद योग्य होगा।

9.4 सेल्युलर सेवाओं का क्षेत्र भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण(ट्राई) तथा भारत सरकार द्वारा संचार मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किये गये लाइसेंस पैरामीटर के अंदर अनुबंध के अंतर्गत जारी कानूनी दिशा निर्देशों के द्वारा संचालित होता है। सेल्युलर दूरभाष सेवाएं समय-समय पर यथा संशोधित तार अधिनियम 1885 द्वारा संचालित होती है।